

५४४

प्राप्तिक्रिया

विषय संचिता

367/368

七

Digitized by srujanika@gmail.com

प्राचीन विकास अवलोकन,

卷之三

— तिस गोवर्हार सदै भरीची

ब्रह्मरात्रि रात्रिवाहन २ - १

३-१५ वर्षीयों के लिये

### ०१ परियोजना की वित्तीय स्थीकृति।

五

महोदय नियंत्रित शर्तों/परिवर्तनों के अधीन सहज स्थापित होता है। (धनराशि लाभ हेतु)


क्र.)	जनपद/ जिल्हाय का नाम	कृत आयासों की संख्या।	अवस्थापन हुदियांडी सहित दरियाजन की कुल आपातीय सामग्री।	समान्य यमी के लाभार्थियों के आयासों की संख्या।	सामाजिक वर्ग के लाभार्थियों भवस्थापन सुविधाओं सहित परियोजना की कृत आयासीय सामग्री।	प्रथम किशल (50 प्रतिशत) के समेत स्वीकृत की जाने वाली घनसाठि (सेन्टर चार्ज एवं लब्द रेत रहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	झज्जीरपुर/ सरेला	301	1531.16	163	829.17	414.585
गोम				163	829.17	414.585

- |   |     |        |  |
|---|-----|--------|--|
| संदर्भ  | 163 | 829.17 |  |
| प्रयोग  |     |        |  |
| १. उक्त धनराशि का दृव्य आसर्व योजना (आयासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 रितवर,2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/द्रव्यस्था का पूर्णरूपण भवनालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी। |     |        |  |
| २. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 के अन्तर्याम-12 के प्रस्तर-313 में वर्णित द्रव्यस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्तीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा  | -2/ |        |  |

विष्णु विष्णु विष्णु

3. इसका यह उपर्युक्त वार्षिक प्राप्ति कारों से पूरे मालविहार के आदरणक अनुकूल रथनों की विवरण/उत्तर स्वेच्छा अवधियों व स्थीकृत फरमान जारीगत है। नियमानुसार सनरात अनुमति देने का आगतवार्ष एवं पर्यावरणीय विवरेन्स प्राप्त करने के उत्तरात ही नियमण वार्षिक प्राप्ति की जारीगत है।
4. उक्त धनरात्रि शासन/प्रायोजना रचना एवं भूव्याकृत प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा कियी। शर्कर/प्रतिवेदनों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यव की जाती है। योग्यतावतगत परियोजनों की नोट नीकृत वायप्र, मानविक एवं आश्रमों में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनरात्रि विवर कार्यक्रम में स्थीकृत की जा रही है। उसका व्यव प्रत्येक दशा में उरी कार्यक्रम में नियम जारी। सनरात्रि/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएँ एवं शुणवत्ता व पारदर्शिता के दाय पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एवं क्लेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. रुड़ा/इडा या सुनीचन किया जायेगा कि स्थीकृत किये जा रहे इत कार्य के उपर्युक्त एवं राज्य सरकार गोजना में सम्बोधित है। उक्त स्थीकृत धनरात्रि आवेदित परिवर्यव के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिरायति/पुनर्गति व ही इस रुड़ा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनावित रुड़ा उल्लेखनीय परिवर्तन जैरो-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/दोषकल में घृदि एवं अन्य विशिष्टियों इत्योग्यता तरंग इत्यादि, व्यव वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिला नहीं किया जायेगा। इत्यादि अतिविवाद समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्थीकृति विधियों के पूर्व डिस्कूट डिजाइन/डाइग्राम बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक दृढ़ि होती है तो इस दिवसों ने पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यव वित्त समिति का एक अनुमोदन पात्र किया जाता अनिवार्य होगा अन्यथा वाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विवार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आवश्यकताएँ के पूर्व इन-सीदू आवासों के भू-स्थानियों के भू-स्थानित्व का संत्यापन अविवार्य रूप से किया जायेगा।
9. रुड़ा/इडा द्वारा या रुड़ो-रुड़े किया जायेगा कि व्यव वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आवास योजनावित आवासों के निर्माण से संबद्धित मालकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यव वित्त समिति द्वारा अधिरोपित रुड़ों का अनुग्रहन सुनीचित करेंगे।
10. उक्त धनरात्रि दैक के मालायन से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बलित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धीय सभी परियोजनों का सदम स्तरीय निराकरण कराकर शुणवत्ता आदि विन्दुओं तहित यथाप्रवित गोजना कियों के अनुपान पर आशयात होकर, तत्काल सम्बलित इडा/उनके नाम्यवन से विमाण इंजनों को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आशयस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनरात्रि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०४०, लखनऊ द्वारा प्रमुख नविय/सदिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय सेक्टर एवं गोपी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिद्वन्द्वीरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०४०, इलाहाबाद को भादेश औतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. स्वीकृत धनराशि कोपागर से सम्बद्धित का देक आवास/ग्रामपंचायत में रहे हों जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोपागर से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शहरों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शहरों का अनुमानल में सम्भिति प्रभा जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्ण यथानिवाप केवल ये राज्य के करों को रखत ही नहीं सम्बन्धी अधिकारी विधिक प्रतिवर्ती के अनुपालन का उद्यान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग घासू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा अनुमति अवश्य करा किया जाय। यीक्षणात्मक प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 पांचवाँ वित्तीय वर्ष हो जाएगा। पश्चात् तथा उसके साथेक भौतिक प्रगति/गुणवत्ता वा संतुष्ट होने के पश्चात् उपर्योजित प्रमाण पर शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवश्य द्वितीय किश्त की धारामें अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो सक्रुत शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०४०, लखनऊ आहरण की धर्छित पर अपने नाम का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लिए से अपर्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बद्धित निर्माण इकाई से यथावत्यत्था धनराशि अनुमुक्त करने से पूर्ण भुगतान (एम०भ००५०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को द्विदीश्वन किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यव घासू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अव्यवहर में अनुदान संख्या-३२ है। अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4216-आयास पर पूंजीगत परिवर्य-आयोजनागत-०२-शहरी आयास-८००-अव्यव-०३-आसरा योजना (आवासीय भवन)-२४-कूद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-ई-८-२२८६/दस-२०१५ दिनांक १४ अगस्त, २०१५ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कृपयाकृपया  
  
 (एच०प०० सिंह)  
 विशेष सदिकार्य

संख्या-७७० /२०१५/१५४२(१)/६९-१-१५, तदितांक।

प्रतीक्षित विभिन्न विधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहि हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, २० सहेजनी नावइ मारी, इजाहावाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परिका विभाग, ३०४०, छठां तल, संगम एवेन्यु, दिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीदी उन्नूनन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, हमीरपुर।
5. वित्त (व्यव-नियंत्रण) अनुआग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुआग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोपाचिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक देव मास्टर, सूडा को विभागीय देव मास्टर पर अपलोड कराने हेतु।
10. गाँड़ फाड़न/कम्प्यूटर सहायक/बजाट समन्वयक।

आजा से,

(एच०प०० सिंह)  
 विशेष सचिव।